



संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग छ.ग. ☐☐
Joint Director of Town & Country Planning, Reg. office Durg- C.G.

कार्यालय
कलेक्ट्रेट परिसर, दुर्ग
दुर्ग - 491 001
दूरभाष - 0788-2323716
फैक्स - 0788-2323716
Email : cgtownplan.durg@gmail.com
cgtownplan_durg@hotmail.com

OFFICE :
Collectorate Campus, Durg
Durg - 491 001
Tel. - 0788 - 2323716
Fax: - 0788 - 2323716
Email : cgtownplan.durg@gmail.com
cgtownplan_durg@hotmail.com

क्रमांक..... / न.ग्रा.नि. / म0अ0-02 / 17
प्रति,

दुर्ग, दिनांक

अवधेश पटेल

अध्यक्ष सर्वोत्तमोखी समाधान शिक्षा संस्कार समिति महाविद्यालय
पता- ग्राम फरी, जिला बेमेतरा (छ.ग.)

विषय:-
संदर्भ:-

शैक्षणिक प्रयोजन भवन अनुज्ञा बाबत।
1/ आपका आवेदन कार्यालय में आवक दिनांक 01.07.2016
2/ इस कार्यालय के विकास अनुज्ञा पत्र क्रमांक 5064 दिनांक 22.11.2010

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत आवेदन पत्र में यथावर्णित विकास कार्य को क्रियान्वित करने के लिए ग्राम फरी प0ह0न0 28 तह. बेमेतरा जिला बेमेतरा की भूमि खसरा क्रमांक 231, 232, 299/2 कुल रकबा 0.590 हे0 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5064 दुर्ग दिनांक 22.11.2010 द्वारा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ हेतु जारी विकास अनुज्ञा के अनुमोदित क्षेत्र में संलग्न मानचित्रानुसार छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 27 (1) एवं 2 (5)(क) के तहत निम्नलिखित शर्तों पर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भवन अनुज्ञा दी जाती है:-

- 1) भवन अनुज्ञा इस आधार पर दी जाती है कि आवेदित भूमि आवेदक/संस्था के पूर्ण स्वामित्व एवं अधिपत्य में है। स्वामित्व/अधिपत्य संबंधी विवाद के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। सारभूत तथ्य के संबंध में कोई जानकारी असत्य पाये जाने पर यह अनुज्ञा प्रतिसंहृत (रिवोक) की जावेगी, जिसकी समस्त जवाबदारी आवेदक/आवेदित संस्था की होगी।
- 2) आवेदित भूखण्ड तक पहुंच मार्ग की चौड़ाई अनुमोदित अभिन्यास के अनुसार रखी जावे।
- 3) आवेदित भूमि पर निर्माण निम्नानुसार हो:-

विवरण	वर्तमान निर्मित क्षेत्र (व.मी.में)	प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र (व.मी.में)	कुल निर्मित क्षेत्र
भूतल	1056.0	46.93	1102.93
प्रथम तल	650.0	534.98	1184.98

- (क) भूतल आच्छादित क्षेत्र - 20.38 प्रतिशत
- (ख) फर्शी क्षेत्रानुपात - संलग्न मानचित्रानुसार 0.42।
- (ग) भवन की ऊंचाई - मानचित्रानुसार 8.5 मीटर रखा जावे।
- (घ) सीमांत खुला स्थान - संलग्न मानचित्रानुसार रखा जावे।

- 1) मार्ग संगम पर मानचित्रानुसार गोलाई दी जावे।
- 2) पार्किंग हेतु निर्धारित क्षेत्र का पार्किंग से भिन्न प्रयोजन अनाधिकृत होगा।
- 3) स्वीकृत अभिन्यास/मानचित्र में दर्शाए अनुसार छोड़ी गई उपांतीय खुली भूमि पर किसी प्रकार का विकास/निर्माण कार्य न किया जावे।
- 4) भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने एवं फ्लिंथ/लिटल तथा छत लेबल पर निर्माण करने की सूचना छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 31 के अंतर्गत इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 5) छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 31 के अंतर्गत भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् भवन पूर्णता प्रमाण पत्र इस कार्यालय से प्राप्त करना आवश्यक होगा। उसके पश्चात् ही भवन का अधिमोग किया जावेगा।

क्रमशः...2.पर

- 6) भवन के निर्माण सामग्री आई.एस.आई. कोड एवं एन.बी.सी. के निर्धारित मानकों अनुसार रखना आवश्यक होगा तथा निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर स्टेबिलिटी का सत्यापन कराना आवश्यक होगा। स्ट्रक्चरल स्थिरता का प्रमाण पत्र स्ट्रक्चरल इंजीनियर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।
- 7) छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 64 के प्रावधानों के अनुसार प्रति 100 वर्गमीटर के आधार पर 1 वृक्ष के अनुसार वृक्षों का वृक्षारोपण स्वयं की भू-खण्ड के भीतर करना होगा।
- 8) छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984 (संशोधन 2000) के नियम 78 (4)के प्रावधान के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना होगा।
- 9) छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 83 एवं एन.बी.सी.पार्ट 4 के प्रावधान अनुसार अग्निशमन व्यवस्था की जाकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र करने के पश्चात् ही भूमि का अधिभोग किया जा सकेगा।
- 10) भवन में छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 89 के अनुसार स्वच्छता संबंधी आवश्यकताएं सुनिश्चित किया जावे।
- 11) मल/जल/निकास, जैसे सेप्टिक टैंक, शोकपिट, नाली, पाईप लाईन का विकास आवेदक को छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानानुसार करना होगा।
- 12) ठोस अपशिष्ट पदार्थ जैसे प्लास्टिक एवं उनसे निर्मित सामग्री को संग्रहित करने हेतु कूड़ादान का उपयोग किया जावे।
- 13) प्लाई ऐंश ब्रिक्स का उपयोग शासन के नियमानुसार कम से कम 25 प्रतिशत किया जाना आवश्यक होगा।
- 14) तड़ित चालक की स्थापना आपदा प्रबंधन हेतु आवश्यक रूप से किया जावे।
- 15) भवन का निर्माण पंजीकृत वास्तुविद/इंजिनियर की देखरेख में कराया जावे।
- 16) निर्माण के दौरान समस्त सुरक्षा उपायों का प्रबंध भूमि स्वामी स्वयं करेगा।
- 17) भवन निर्माण की पूर्ण अवधि में इस कार्यालय द्वारा जारी विकास अनुज्ञा तथा भवन निर्माण अनुज्ञा का मानचित्र स्थल पर अवलोकन के लिये रखना अनिवार्य होगा।
- 18) भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 एवं 1998 के प्रावधानों के तहत भवन के निर्माण लागत का 1 प्रतिशत जमा कराए गए उपकर राशि की पुष्टि संबंधित विभाग से कराया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर संबंधित विभाग के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- 19) प्रश्नाधीन भूमि/आवेदित भूखण्ड के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन हो तो माननीय न्यायालय के आदेश निर्देश इस पर बंधनकारी होंगे।
- 20) छ0ग0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 33 एवं छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984 में (संशोधन) नियम 23 के प्रावधानों के तहत अनुज्ञा की कालावधि अनुज्ञा दिनांक से 1 वर्ष तक विधिमान्य होगी। निर्धारित कालावधि में निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर अनुज्ञा वर्षानुवर्ष विधिमान्य कराना होगा, जिसकी कुल अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।


संलग्न:- मानचित्र की प्रति।

पृ. क्रमांक 920 / न.शा.नि. / म0अ0-02 / 16
प्रतिलिपि

01. अनुविभागीय अधिकारी (रा0), बेमेतरा जिला बेमेतरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
02. सरपंच, ग्राम पंचायत फरी तह.व जिला बेमेतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:- मानचित्र की प्रति।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग (छ.ग.)
दुर्ग, दिनांक 10/2/2017


संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग (छ.ग.)

